// पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 90 /अका./का.प/2025 रायपुर, दिनांक 10 /01/2025

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '94वाँ' बैठक गुरुवार दिनांक 09.01.2025 को सायं 5.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष

1. श्री पुरन्दर मिश्रा	– सदस्य	7. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा (Online)	– सदस्य
2. डॉ. संजय जे. डहरवाल	– सदस्य	8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (Online)	– सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	– सदस्य	9. श्री कृष्णकान्त खरान्शु	– सदस्य
4. डॉ. रोहिणी प्रसाद	– सदस्य	10. डॉ. बिजयानंद सिंह (Online)	– सदस्य
5. डॉ. कल्लोल कुमार घोष	– सदस्य	11. डॉ. मेघेश तिवारी	– सदस्य
6. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स	– सदस्य		– सदस्य

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव – सचिव

<u>अनुपस्थित सदस्य–</u> श्री मोतीलाल साहू, श्री गुरु खुशवंत साहेब, श्री रोहित साहू, श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, डॉ. गिरीश चंदेल

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.11.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः **सूचना ग्रहण करते हुए संपुष्टि प्रदान की गई।**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. बजट 2024–25 में 1. B. Engineering Unit 18 Concealed Wiring मद में प्रावधानित राशि रू. 500.00 लाख के पुनर्विनियोजन पश्चात् शेष राशि रू. 478.00 लाख में से H. Staff Welfare Units 1. Medical Aid to Officers, Employees & Teachers (Reimbursement) मद में राशि रू. 15.00 लाख (रुपए पन्द्रह लाख मात्र) पुनर्विनियोजन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार पुनर्विनियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।**

3. बजट 2024–25 में 1. A. General Administration 31 E-Governance मद में प्रावधानित राशि रू. 100.00 लाख में से रु. 2.00 लाख (रुपए दो लाख मात्र) H. Staff Welfare Units 2. Ex-gratia Grant to Individual Cases of Extreme Distresses मद में पुनर्विनियोजन किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार पुनर्विनियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।**

4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 84 महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर–जनवरी 2024–25 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 18.25 लाख (रुपए अठारह लाख पच्चीस हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

5. छात्रवृत्ति गठन समिति हेतु 03 संकायाध्यक्षों के मनोनयन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः अध्यादेश क्रमांक 9 The Conditions of the Award of fellowships and Scholarships के कंडिका क्रमांक 1 (b) के प्रावधानानुसार छात्रवृत्ति गठन समिति हेतु निम्नानुसार 03 संकायाध्यक्षों का मनोनयन किया गया–

(1) डॉ. निदान बोधनकर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय

(2) डॉ. ए.के. प्रधान, संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय

(3) डॉ. संजय कुमार, संकायाध्यक्ष, इंफर्मेशन टेक्नालॉजी संकाय

6. विभिन्न कॉलेज से प्राप्त संबद्धता शुल्क पर जीएसटी भुगतान के संबंध में पक्ष रखने हेतु सी.ए. को (Power of Attorney) सौंपे जाने के सूचना के संबंध में सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः सूचना ग्रहण करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

7. डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 58,42,318.00 (रुपए अंठावन लाख बयालीस हजार तीन सौ अठारह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

8. डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 26,18,400.00 (रुपए छब्बीस लाख अठारह हजार चार सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. डॉ. बंश गोपाल सिंह, प्रोफेसर, मनोविज्ञान अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 44,19,511.00 (रुपए चौवालीस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ ग्यारह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

10. श्री श्रवण सिंह ठाकुर, कनिष्ठ अधीक्षक, पर्यावरण अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 9,32,337.00 (रुपए नौ लाख बत्तीस हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

11. श्री राजेन्द्र प्रसाद औसर, वरिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 17,23,883.00 (रुपए सत्रह लाख तेईस हजार आठ सौ तिरासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

12. श्री हरीश कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ अधीक्षक, सामान्य प्रशासन के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 11,39,727.00 (रुपए ग्यारह लाख उनतालीस हजार सात सौ सत्ताईस मात्र) में से 10% रोककर शेष राशि रु. 10,25,754.00 (रुपए दस लाख पच्चीस हजार सात सौ चौवन मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

13. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।

निर्णयः **फर्म New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, RAJAT SANKUL, Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur का कार्यकाल संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक के लिये विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था हेतु अनुबंध में 01 वर्ष की वृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

14. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।

निर्णयः **फर्म New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, RAJAT SANKUL, Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur का कार्यकाल संतोषजनक होने के कारण दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुबंध में 01 वर्ष की वृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

15. अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए 200 नग स्टूडेंट टेबल एवं स्टूडेंट चेयर क्रय हेतु रु. 6,54,556.00 (रुपए छः लाख चौवन हजार पाँच सौ छप्पन मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए 200 नग स्टूडेंट टेबल एवं स्टूडेंट चेयर क्रय हेतु रु. 6,54,556.00 (रुपए छः लाख चौवन हजार पाँच सौ छप्पन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही उक्त सामग्री छ.ग. भंडार क्रय नियम अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्रय किये जाने के साथ उक्त सामग्री का भुगतान बजट Other SoS 1(a) Furniture & Fixture में प्रावधानित राशि से किये जाने का निर्णय लिया गया।**

विधिक प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :–

16. श्री विजय रास बिहारी दास, अधिवक्ता को स्थानीय न्यायालय में विश्वविद्यालय के पक्ष रखने हेतु विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ता के रूप में शामिल किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।**

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

17. श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में विवरण निम्नानुसार है–**

(1) श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति वि.वि. आदेश क्र.749/सा. प्रशा./2015 दिनांक 19.03.2015 को निरस्त करने हेतु उनके अपील आवेदन दिनांक 15.01.2024 के संबंध में विस्तृत जाँच हेतु कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.07.2024 के पूरक विषय सूची 16 पर लिये गये निर्णयानुसार तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

(2) अपीलार्थी श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक (अनिवार्य सेवानिवृत्ति) द्वारा तीन सदस्यीय समिति के समक्ष दिनांक 13.11.2024 को उपस्थित होकर 08 बिन्दुओं का कुल 11 पेज का अभ्यावेदन एवं 14 पेज का संलग्नक प्रस्तुत किया गया।

(3) तीन सदस्यीय समिति द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 13.11.2024 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनसे प्राप्त अभ्यावेदन एवं दस्तावेज की जाँच किया गया।

(4) तीन सदस्यीय समिति ने अपनी जाँच में पाया कि "छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 एवं विश्वविद्यालय परिनियम 31 के भाग–5 शास्तियाँ एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी के कंडिका 57 (1) (ई) – अनिवार्य सेवानिवृत्ति" तथा निलंबन छ.ग. मूलभूत नियम–56 अनिवार्य सेवानिवृत्ति में वर्णित परिपत्र की कंडिका– 5 एवं 8 के परिपालन में श्री महेन्द्र कुमार भिड़े को प्रदान की गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति मान्य योग्य है।

अतः समिति द्वारा जाँचोपरांत की गई अनुशंसा पर कार्यपरिषद् ने चर्चोपरांत सर्वसम्मति से अनिवार्य सेवानिवृत्ति को यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.01.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः कार्यवृत्त के विषयसूची बिन्दु क्रमांक 07, 08, 10, 11, 12 व अध्यक्ष की अनुमति बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 पर कार्यपरिषद् अध्यक्ष की अनुमति से पृथक चर्चा की गई। तत्संबंधित बिन्दुओं पर कार्यपरिषद् का भी अभिमत पृथक से उल्लेखित किये जाने के निर्णय के साथ सम्पूर्ण कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 26.11.2024 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

3. विश्वविद्यालय में कार्यरत् न्यू भारत सिक्यूरिटी एवं डिटेक्टीव सर्विसेज से अतिरिक्त श्रमिक कार्य पर लिये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय में कार्यरत् न्यू भारत सिक्यूरिटी एवं डिटेक्टीव सर्विसेज से वर्तमान में कार्यरत 93 सफाई कर्मियों के अतिरिक्त निम्नानुसार अतिरिक्त श्रमिक कार्य पर लिये जाने का निर्णय लिया गया –

1. यूटीलिटी/सामुदायिक भवन, छात्र सदन हेतु	–	**02 सफाई कर्मी**
2. राजभवन हेतु	–	**02 सफाई कर्मी**
3. परीक्षा भवन हेतु	–	**02 सफाई कर्मी**
4. अन्य कार्य (खरपतवार की कटाई, सफाई करना, परिसर से कचरा उठवाना, कुर्सी टेबल उठवाना एवं परिसर कटाई एवं सफाई नियमित संधारण करना।)	–	**08 सफाई कर्मी**

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

4. शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb./Gen.Adm./2023 रायपुर, दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जारी संशोधित विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 03/10/2024 तथा विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 13.12.2024 तथा वर्ष 2025 में जारी किये जाने वाले आगामी विज्ञापनों से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार करना।

निर्णयः शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb./Gen.Adm./2023 रायपुर, दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जारी संशोधित विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 03/10/2024 तथा विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 13.12.2024 तथा वर्ष 2025 में जारी किये जाने वाले आगामी विज्ञापनों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया –

(1) पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb./Gen.Adm./2023 रायपुर, दिनांक 06/09/2023 के सन्दर्भ में कार्यपरिषद् द्वारा दिनांक 20.12.2023 को अनुमोदित स्क्रूटनी समिति में आंशिक संशोधन के साथ विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 03/10/2024 तथा विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 13/12/2024 तथा वर्ष 2025 में जारी किये जाने वाले आगामी विज्ञापनों के लिए स्क्रूटनी समिति का गठन निम्नानुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की गई –

1) निदेशक, IQAC
2) विभागाध्यक्ष (जो सम्बन्धित विषय विशेषज्ञता धारित करता हो) यदि विषय विशेषज्ञता धारित करने वाला विभागाध्यक्ष नहीं हो तो कुलपति जी की अनुमति से संकाय अध्यक्ष अथवा बाह्य विशेषज्ञ होंगे)
3) प्रो. बलवंत ठाकुर, विभागाध्यक्ष, गणित अध्यनशाला
4) प्रो. के.के. साहू, विभागाध्यक्ष, बायो–टेक्नोलॉजी अध्यनशाला
5) प्रो. एस. जे. डहरवाल, विभागाध्यक्ष, फार्मेसी अध्यनशाला
6) प्रो. निस्तर कुजूर, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्यनशाला

(2) पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb./Gen-Adm-/2023 रायपुर, दिनांक 06/09/2023 के सन्दर्भ में कार्यपरिषद् द्वारा दिनांक 20/12/2023 को अनुमोदित Criteria for Shortlisting of Candidates, Academic/Research Score Sheets के निम्नवत प्रस्तुत प्रारूप तथा Selection Criteria को विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 03/10/2024 तथा विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 13/12/2024 तथा वर्ष 2025 में जारी किये जाने वाले आगामी विज्ञापनों के सन्दर्भ में निम्नानुसार अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया –

Selection Criteria for Direct Recruitment of Teachers

Assistant Professor

S. N.	Particulars			Max Marks
1.	Marks on Academic Record (60% of Score on Academic Record calculated as per UGC Regulation 2018)			60
2.	Teaching Demonstration			20
	(i)	Assessment of Teaching Skill	10	
	(ii)	Assessment of Domain Knowledge	10	
3.	Interview Performance			20
	Total marks			100

Associate Professor

S. N.	Particulars	Max Marks
1.	Marks on Academic Record • PG (First Division-10 marks, Second Division with >=55 percent-5 marks) • UG (First Division-5 marks) • HSC/HSSC (First Division-5 marks)	20

2.	Quality of Publication: • 2 marks per publication in WoS journals with Journal Impact Factor (JIF) • 1 mark per publication in Scopus/ WoS journals (UGC-CARE List Group II journals) if they do not have JIF • 0.5 mark per publication in UGC listed/Care-list journals (not included in the above categories) Note: Journal Impact factor to be determined as per JCR of Thomson Reuters (Clarivate Analytics).		30
4.	Quality of Research Assessed by Experts (based on publication, research guidance, projects, patent, visits to foreign institutions, etc.)		10
3.	Teaching Demonstration		20
	(i) Assessment of Teaching Skill	10	
	(ii) Assessment of Domain Knowledge	10	
5.	Interview Performance		20
	Total marks		**100**

Professor

S. No.	Particulars		Max Marks
1.	Marks on Academic Record • PG (First Division-10 marks, Second Division with >=55 percent-5 marks) • UG (First Division-5 marks) • HSC/HSSC (First Division-5 marks)		20
2.	Quality of Publication: • 2 marks per publication in WoS journals with Journal Impact Factor (JIF) • 1 mark per publication in Scopus/ WoS journals (UGC-CARE List Group II journals) if they do not have JIF • 0.5 mark per publication in UGC listed/Care-list journals (not included in the above categories) Note: Journal Impact factor to be determined as per JCR of Thomson Reuters (Clarivate Analytics).		30
4.	Quality of Research Assessed by Experts (based on publication, research guidance, projects, patent, visits to foreign institutions, etc.)		20
3.	Teaching Demonstration		10
	(i) Assessment of Teaching Skill	05	
	(ii) Assessment of Domain Knowledge	05	
5.	Interview Performance		20
	Total marks		**100**

(3) पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb./Gen.Adm./2023 रायपुर, दिनांक 06/09/2023 के तहत प्राप्त आवेदनों के संबंध में अपनायी जाने वाली भर्ती–प्रक्रिया के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20/12/2023 में प्रदत्त अनुमोदन पर संशोधित विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb-/Gen-Adm-/2024 रायपुर, दिनांक 03/10/2024 तथा नवीन विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb-

/Gen-Adm-/2024 रायपुर, दिनांक 13/12/2024 तथा वर्ष 2025 में जारी किये जाने वाले आगामी विज्ञापनों के सन्दर्भ में भर्ती–प्रक्रिया के निम्नांकित बिन्दुओं का पुनः अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया –

(a) प्राप्त आवेदनों को लिफाफा खोलकर संलग्नकों सहित आवेदन पत्र की Page Numbering किया जाना।

(b) संलग्नकों सहित आवेदन पत्र की स्कैनिंग कर हार्ड–डिस्क में सुरक्षित रखना।

(c) स्कैनिंग उपरांत प्राप्त समस्त स्वीकृत आवेदनों की लिस्टिंग कर स्क्रूटनी हेतु स्क्रूटनी–समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

(d) स्क्रूटनी–समिति द्वारा समस्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अर्ह/ अनर्ह (Eligible/Not-Eligible) की सूची जारी करते हुए आवश्यकतानुसार चयन हेतु साक्षात्कार तिथि घोषित किया जाना।

(e) अनर्ह अभ्यर्थियों को दावा–आपत्ति हेतु 03 दिवस का समय दिया जाना।

(f) स्क्रूटनी–समिति द्वारा प्राप्त दावा–आपत्तियों का निराकरण किए जाने के उपरांत पुनः अर्ह/ अनर्ह (Eligible/Not&Eligible) की संशोधित सूची जारी किया जाना।

(g) अर्ह (Eligible) अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय वेबसाइट तथा ई–मेल के माध्यम से चयन–समिति की बैठक की निर्धारित तिथि पर समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के सन्दर्भ में सूचित/आमन्त्रित किया जाना।

(h) चयन समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त विषय से सम्बंधित अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय वेबसाइट पर जारी करते हुए उन्हें ई–मेल के माध्यम से भी चयन के सम्बन्ध में सूचित किया जाना।

(4) विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./ 2024 रायपुर, दिनांक 03/10/2024 तथा विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 13/12/2024 के सन्दर्भ में एक पद के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर चयन–समिति के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में आमंत्रित किये जाने से सम्बंधित नियमावली पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1) विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम एक आवेदन प्राप्त होने पर भी अर्हता की जाँच कर अर्ह पाये पर साक्षात्कार आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2) बैकलॉग विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम एक आवेदन प्राप्त होने पर भी अर्हता की जाँच कर अर्ह पाये जाने पर साक्षात्कार आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3) विज्ञापित पदों हेतु बहुत अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अर्हता के आधार पर अर्ह सभी आवेदकों को साक्षात्कार में बुलाये जाने का निर्णय लिया गया।

(5) विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर दिनांक 03/10/2024 से प्राप्त आवेदनों में से 21 अन्य नामों से प्राप्त DD के संबंध में पूर्व कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28/11/2024 को लिए गए निर्णयानुसार आवेदकों को ई–मेल तथा वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्रदान कर 15 दिवस का समय प्रदान किया गया तथा पुनः प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि 31/12/2024 के बाद भी जिन्होंने सही नाम से DD प्रेषित नहीं किए उनके आवेदनों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

(6) विज्ञापन क्र 2895/ Estb./ Gen.Adm- / 2024 Raipur Dated 03/10/2024 से प्राप्त आवेदनों में कुछ आवेदनों में DD संलग्न नहीं थे उन आवेदनों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. डॉ. सी.डी. अगासे, प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता से अपार्टमेंट क्रय करने हेतु आंशिक विकर्षण (Part final) राशि रु. 30,00,000.00 (रुपए तीस लाख मात्र) भुगतान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

6. विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों /कर्मचारियों के अर्जित अवकाश नगदीकरण (सातवें वेतनमान एवं छठवें वेतनमान) के अंतर की राशि भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **कुल 20 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों (न्यायालयीन प्रकरण को छोडकर) को अर्जित अवकाश नगदीकरण भुगतान राशि गणना पत्रक के अनुसार अंतर की कुल राशि रू. 11,73,889.00 (रुपए ग्यारह लाख तिहत्तर हजार आठ सौ नवासी मात्र) के छ.ग. पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 एवं छ.ग. अवकाश नियम 2010 के अर्जित अवकाश नगदीकरण के नियमानुसार भुगतान स्वीकृति प्रदान की गई।**

7. डॉ. एस. एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी (सेवानिवृत्त) के कुल 28 माह के मानदेय राशि रू 873600/- के भुगतान की स्वीकृति एवं अधिक भुगतान की राशि 1243285/- के समायोजन की अनुमति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार भुगतान एवं समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।**

8. डॉ. एस.एस. अग्रवाल, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी के अवकाश नगदीकरण के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **डॉ. अग्रवाल को वि.वि. आदेश क्र. 1789/सा.प्रशा./2024 रायपुर, दिनांक 12.06.2024 अवकाश नगदीकरण की भुगतान राशि 14,00,105/– (रुपए चौदह लाख एक सौ पाँच मात्र) में से शेष आधिक्य भुगतान राशि रू. 3,69,685/– (रुपए तीन लाख उनहत्तर हजार छः सौ पच्यासी मात्र) की कटौती कर राशि रू. 10,30,420/– (रुपए दस लाख तीस हजार चार सौ बीस मात्र) का भुगतान किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

9. दिनांक 01.10.2024 से विश्वविद्यालय 90% प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहें कुल 28 पेंशनरों को 230% पेंशन के स्थान पर 239% प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.10.2024 से विश्वविद्यालय के 90% प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे कुल 28 पेंशनरों को 230% पेंशन के स्थान पर 239% निम्नानुसार दर से महंगाई राहत प्रदान करने की स्वीकृत किया गया है:–**

वेतनमान	अवधि जब से देय है	महंगाई राहत में वृद्वि का प्रतिशत	वृद्वि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत
सातवां वेतनमान	01.10.2024	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 4%	50%
छठवां वेतनमान	01.10.2024	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 9%	239%

10. शास. खे.ल. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, महासमुंद को वार्षिक/सेमेस्टर/पूरक परीक्षा के संचालन हेतु रु. 1604000/- का समायोजन एवं महाविद्यालय द्वारा किये गए आधिक्य व्यय राशि रु. 10,50,435/- (रु. दस लाख पचास हजार चार सौ पैंतीस मात्र) के प्रतिपूर्ति भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त अवधि में कार्यरत् प्राचार्यों को चेतावनी पत्र जारी करने तथा उच्च शिक्षा विभाग को तद्सम्बन्धी कार्यवाही से अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

11. HDFC बैंक के गेटवे पाथ के माध्यम से विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्कों की जमा सुविधाओं के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

12. श्री धनसिंह गहिरवारे, कक्ष अधिकारी, गोपनीय विभाग को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता से पुत्री के विवाह हेतु आंशिक विकर्षण (Part final) राशि रु. 9,00,000.00 (रुपए नौ लाख मात्र) भुगतान किये जाने की स्वीकृति संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा 2025 हेतु अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णयः **छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अध्यादेश क्रमांक 5 की धारा 20 की उपधारा 6 के अनुसार अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.01.2024 के सक्षम स्वीकृति अनुसार DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत Fabrication of experimental setup (High pressure fixed bed micro reactor with additional setup) का कुल राशि रु. 51,99,080.00 (रुपए इंक्यावन लाख निन्यानबे हजार अस्सी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

15. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत खरीदे गए उपकरण Electrospinning Machine एवं Lab prerequisites राशि रु. 41,27,050.00 (रुपए इकचालीस लाख सत्ताईस हजार पचास मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. सेमेस्टर परीक्षा 2024-25 में NEP (UG) के अंतर्गत समन्वयक केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई के नाम से कुल 70.00 लाख (रुपए सत्तर लाख मात्र) अग्रिम राशि जारी करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।**

17. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2024–25 (दिसंबर–जनवरी) से "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" में सेमेस्टर व्यवस्था के अंतर्गत संचालित बी.ए./बी.एस–सी./बी.कॉम./बी.एस. (होम साइंस)/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (नियमित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु) एवं नवीन पाठ्यक्रम Integrated Teacher Education Program (ITEP) बी.ए.बी.एड्./बी.एस–सी.बी.एड्./बी.कॉम.बी.एड. के विभिन्न सेमेस्टरों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2024–25 (दिसंबर–जनवरी) से "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" में सेमेस्टर व्यवस्था के अंतर्गत संचालित बी.ए./बी.एस–सी./बी.कॉम./बी.एस. (होम साइंस)/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (नियमित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु) एवं नवीन पाठ्यक्रम Integrated Teacher Education Program (ITEP) बी.ए.बी.एड्./बी.एस.सी.बी.एड्./बी.कॉम.बी.एड. के विभिन्न सेमेस्टरों के लिए निम्नानुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क का सूचना ग्रहण करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई –**

<u>नियमित :–</u>

क्र.	कक्षा/परीक्षा का नाम	परीक्षा/शुल्क + अग्रेषण शुल्क (रु.)	कुल शुल्क (सेमेस्टर वार)
1	बी.ए./बी.ए. क्लासिक्स/बी.कॉम.	1100+ 30	1130
2	बी.एस–सी./बी.एस–सी. (होम साइंस)	1130+ 30	1160
3	बी.सी.ए.	1810+ 10	1840
4	बी.बी.ए.	1330+ 30	1360

<u>स्वाध्यायी :–</u>

क्र.	शुल्क का प्रकार	शुल्क की राशि (रु.) (सेमेस्टर वार)
1	परीक्षा शुल्क (बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम.)	1610
2	नामांकन शुल्क	70 **(प्रथम बार)**
3	शारीरिक शिक्षा शुल्क	50
4	ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क	50
5	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	288
6	असाइनमेंट शुल्क	90
7	अग्रेषण शुल्क	30
	कुल राशि =	**2188**

<u>नियमित :–</u>

क्र.	कक्षा/परीक्षा का नाम	परीक्षा/शुल्क + अग्रेषण शुल्क (रु.)	कुल शुल्क (सेमेस्टर वार)
1	बी.ए.बी.एड्.	1521+ 30	1551
2	बी.एस.सी.बी.एड्.	1551+ 30	1581
3	बी.कॉमबी.एड.	1521+ 30	1551

<u>समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

18. Endline Survey Report 2024 के अग्रिम देय राशि रु. 6,80,000.00 (रुपए छः लाख अस्सी हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

19. Documentation Projection and Conservation Rock Art Sites in District Raigarh, Chhattisgarh, हेतु प्राप्त राशि का समायोजन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः जिला खनिज न्यास निधि, डी.एम.एफ. फण्ड से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. को प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत "Documentation Projection and Conservation Rock Art Sites in District Raigarh, Chhattisgarh" के संचालन हेतु विभिन्न मदों में पृथक–पृथक प्रदान की गई अग्रिम धनराशि के सापेक्ष संयुक्त रूप से राशि रु. 8,56,618 (रुपए आठ लाख छप्पन हजार छः सौ अठारह मात्र) के समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

20. उपाधि मुद्रण हेतु निविदा के कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

21. तृतीय रूचि अभिव्यक्ति [Expression of Interest (EoI)]- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कैन्टीन संचालन के कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्र.862/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 30/12/2024 में विश्वविद्यालय परिसर के यूटिलिटी सेंटर में स्थित कैन्टीन स्थल को The University Cafe नाम से कैन्टीन संचालन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

22. विश्वविद्यालय के उपयोग के लिये स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु निविदा के कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः वि.वि. के विभिन्न विभाग/अध्ययनशाला/छात्रावासो एवं वि.वि. प्रेस के उपयोग हेतु स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु निविदा सूचना क्र.837/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 11/12/2024 के द्वारा जारी निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही उक्त निविदा में स्टेशनरी सामग्री क्रय करने पर रू.26,00,000.00 (छब्बीस लाख मात्र) व्यय होने की संभावना है। क्रय किये जाने वाले सामग्रियों का भुगतान (1) Examination & Evaluation Administration (2) (a) Stationery & Printing (including Degree & Exam. Form) के लिये प्रावधानित मद से भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

23. अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए 15 नग कम्प्यूटर, यू.पी.एस., कम्प्यूटर टेबल एवं चेयर क्रय हेतु रू. 11,69,067=00 (रुपए ग्यारह लाख उनहत्तर हजार सड़सठ मात्र) की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए 15 नग कम्प्यूटर, यू.पी.एस., कम्प्यूटर टेबल एवं चेयर क्रय हेतु रू. 11,69,067=00 (रुपए ग्यारह लाख उनहत्तर हजार सड़सठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही उक्त सामग्री छ.ग. भंडार क्रय नियम अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्रय किये जाने के साथ उक्त सामग्री का भुगतान बजट C.III Other SoS (C) Computer/Photocopy में प्रावधानित राशि से किये जाने का निर्णय लिया गया।

24. विश्वविद्यालय परिसर में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरा रिपेयरिंग एवं वार्षिक रख–रखाव (AMC) हेतु रु. 12,70,000.00 (रुपए बारह लाख सत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण करते हुए संशोधित प्रस्ताव पुनर्विचार हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.01.2025 के बिंदु क्रमांक 07 में छत्तीसगढ़ की आदिवासी–संस्कृति एवं उत्तर–पूर्वीय भारत की आदिवासी–संस्कृति के मध्य शोध–सेतु तथा विशिष्ट अध्ययन के दृष्टिगत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में "श्रीमंत शंकर देव अनुसंधान पीठ" की स्थापना के संबंध में किये गए अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **छत्तीसगढ़ की आदिवासी–संस्कृति एवं उत्तर–पूर्वीय भारत की आदिवासी–संस्कृति के मध्य शोध–सेतु तथा विशिष्ट अध्ययन के दृष्टिगत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में "श्रीमंत शंकर देव अनुसंधान पीठ" की स्थापना के लिए निम्नानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया–**

1. **"श्रीमंत शंकर देव अनुसंधान पीठ" की स्थापना तथा संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा क्रमांगत वर्षों में रु. 5.00 करोड़ तक की संरक्षित निधि का निर्माण किया जाना प्रावधानित है।**
2. **संरक्षित निधि की राशि के लिए माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, रायपुर जिले के समस्त विधायकगण के साथ–साथ उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन आदिम जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को आर्थिक सहयोग हेतु आग्रह किया जाए। तद्क्रम में अन्य सामाजिक संगठनों तथा गणमान्य नागरिकों से भी आर्थिक सहयोग स्वीकार किया जाए।**
3. **संरक्षित निधि के निर्माण हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025–26 के बजट में रु. 25,00,000.00 (रुपए पच्चीस लाख मात्र) के प्रारंभिक अंशदान का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यकतानुसार क्रमागत वर्षों में भी विश्वविद्यालय बजट में इस प्रकार की राशि का प्रावधान किया जा सकेगा।**

02. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.01.2025 के बिंदु क्रमांक 08 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्थापित "स्वामी विवेकानंद चेयर" में रु. 2.00 करोड़ तक की संरक्षित निधि के निर्माण के अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में "स्वामी विवेकानंद चेयर" की स्थापना 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक 74–1/2015 दिनांक 05 जून 2015 के अनुक्रम में किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2024 का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् कार्यकाल वृद्धि हेतु पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही पूर्व शेष अनुदान राशि अप्राप्त है, उक्त दशा में "स्वामी विवेकानंद चेयर" को पुनर्जीवित/संचालित किये जाने की आवश्यकता है। उक्त के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –**

1. **पुनर्जीवित/संचालित किये जाने हेतु 2.00 करोड़ तक की संरक्षित निधि का निर्माण करते हुए आर्थिक सहयोग अन्य शासकीय विभागों, सामाजिक संस्थाओं तथा समाज के गणमान्य नागरिकों से प्राप्त किया जाए।**
2. **संरक्षित निधि के निर्माण हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025–26 के बजट में रू. 25,00,000.00 (रुपए पच्चीस लाख मात्र) के प्रारंभिक अंशदान का प्रावधान किया जाए। आवश्यकतानुसार क्रमागत वर्षों में भी विश्वविद्यालय बजट में इस प्रकार की राशि का प्रावधान किया जा सकेगा।**

3. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.01.2025 के बिंदु क्रमांक 10 में विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 03.10.2024 तथा विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 13.12.2024 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के धारा 49 की उपधारा (2)(दो) के अंतर्गत चयन समिति हेतु विभिन्न विषयों के लिए विषय विशेषज्ञों की सूची अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **विषय विशेषज्ञों की सूची सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

4. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.01.2025 के बिंदु क्रमांक 11 में सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा सत्र 2025–26 में निम्नलिखित 2 सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किये जाने हेतु प्रस्तुत Draft Ordinance की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना–

1. Introduction to Indian knowledge system
2. Indian knowledge system: arts and social sciences

निर्णयः सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा सत्र 2025–26 में निम्नलिखित 2 सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किये जाने हेतु प्रस्तुत Draft Ordinance की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

1. Ordinance No. - 212- Introduction to Indian knowledge system
2. Ordinance No. - 213- Indian knowledge system: arts and social sciences

साथ ही M.A. in Tribal studies & Indian knowledge system को प्रारम्भ किए जाने की सैद्धांतिक सहमति के साथ संबंधित Ordinance No. 170 को संशोधित किए जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए पाठ्यक्रम संचरना आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

5. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.01.2025 के बिंदु क्रमांक 12 में निम्नलिखित अध्यादेश के प्रस्तावित नवीन विनियम की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना –

(i) अध्यादेश क्र. 207 Integrated Teacher Education Program (ITEP) (B.A. B.Ed. Course)
(ii) अध्यादेश क्र. 208 Integrated Teacher Education Program (ITEP) (B.Sc. B.Ed. Course)
(iii) अध्यादेश क्र. 209 Integrated Teacher Education Program (ITEP) (B.Com. B.Ed. Course)

निर्णयः प्रस्तावित नवीन विनियम की निम्नानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

(i) विनियम क्रमांक– 218– Integrated Teacher Education Program (ITEP) (B.A. B.Ed. Course)
(ii) विनियम क्रमांक– 219– Integrated Teacher Education Program (ITEP) (B.Sc. B.Ed. Course)
(iii) विनियम क्रमांक– 220– Integrated Teacher Education Program (ITEP) (B.Com. B.Ed. Course)

6. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.01.2025 के अध्यक्ष की अनुमति के अन्य निर्णय बिंदु क्रमांक 1 में CGPA को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु नियम/फार्मूला तय करने की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 210 Four Year Under Graduate Program (FYUP) में उल्लेखित प्रावधान Percentage = 10 X CGPA को आवश्यकतानुसार समस्त सम्बन्धित प्रकरणों में CGPA से प्रतिशत में परिवर्तन हेतु मान्य किए जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

7. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.01.2025 के अध्यक्ष की अनुमति के अन्य निर्णय बिंदु क्रमांक 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के Revenue Generation Model की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के Revenue Generation Model का निम्नानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

1. Revenue Generation Model.

(a) विभागीय स्त्रोत का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों में किया जाना है :–

- कार्यशाला, **Skill** आधारित संगोष्ठी, Skill आधारित **Symposium**, अल्प अवधि **Traning** कार्यक्रम आदि आयोजित करना। इन कार्यक्रमों में **PG** एवं **UG** महाविद्यालय के विधार्थियों एवं **Industry/Organization** के प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे।

(b) **Revenue Generation -**

- पंजीयन शुल्क से **Revenue Generation** होगा। गतिविधियों की गुणवत्ता एवं समय–सीमा के अनुसार पंजीयन शुल्क कार्यक्रम की वित्तीय आवश्यकता के क्रम में निर्धारित की जा सकेगी।

(c) **Revenue Distribution** निम्नानुसार किया जाना है –

- 30% पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 30% विभाग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 30% **Supervisors** जैसे कि विभाग के **Experts/ Regular Faculties/ Guest Faculties/Alumni**
- 05% टेक्निकल स्टाफ
- 05% तृतीय / चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों

08. SECTION 8 COMPANY "PRSU INNOVATION TECHNOLOGY AND ENTERPRENUEURSHIP FOUNDATION (PITEF)" एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य हुए MoU के संबंध में विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

09. माननीय कार्यपरिषद् सदस्य श्री पुरन्दर मिश्रा जी ने पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत सचालित शासकीय महाविद्यालयों का स्वयं के भवन में संचालन न होने के संबंध में चर्चा पर विचार करना।

निर्णयः **माननीय कार्यपरिषद् सदस्य श्री पुरन्दर मिश्रा जी ने पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत सचालित शासकीय महाविद्यालय जो स्वयं के भवन में संचालित न होकर अन्य भवन में संचालित हो रहे हैं के संबंध में कार्यपरिषद् को अवगत कराया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी शासकीय महाविद्यालयों की जानकारी माननीय श्री पुरन्दर मिश्रा जी को उपलब्ध कराया जाए, जिससे इस संबंध में शासन को अवगत कराते हुए राज्य शासन के बजट में प्रावधान किया जा सके।**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

09/01/25 9/1/25

कुलपति **कुलसचिव**
अध्यक्ष सचिव

पृ.क्रमांक : 91 /अका./का.प/2025 **रायपुर, दिनांक 10 /01/2025**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप–कुलसचिव (अका.)